सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 99/17 **निर्णय दिनांकः 31–07–2019**

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व. बेगाराम जाति जाट निवासी सान्डन ग्राम पंचायत खारिया कनिराम हाल चक 5 एसएलडी तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. रोशनी देवी पत्नी देवीलाल जाति कुम्हार निवासी चक 11 एलएनपी हाल चक 5 डीएल तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

रेस्पोडेन्ट्स

अपीलें विरूद्व आज्ञा दिनांक 09–11–2016
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थितिः–

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री धीरेन्द्रसिंह भदौरिया, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 09–11–2016 जिसके द्वारा विशेष आवंटन गजट की भूमि का गलत रूप से आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि चक 5 डीएल के मुरब्बा नम्बर 149/60 के किला नम्बर 1, 4 ता 7, 14 ता 17, 24 व 25 कुल 11 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड विशेष आवंटन हेतु वर्ष 1999 के गजट में प्रकाशित थी। अपीलांट् के पिता स्व. बेगाराम द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु वर्ष 2007 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अपीलांट् के पिता द्वारा तत्सयम ही आवेदन के साथ तमाम औपचारिकतम पूर्ण कर दी गई थी तथा वर्ष 2007 में ही आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा एकल आवेदकों को भूमि आवंटन का प्रस्ताव भी पारित किया जा चुका था। इन सब के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पिता को उक्त भूमि का आवंटन नहीं किया गया ना ही उक्त आवेदन पत्र को आज दिनांक तक निरस्त ही किया गया है। अपीलांट के पिता अपने जीवनकाल में ही उक्त भूमि को प्राप्त करने के अधिकारी थे। अपीलांट के पिता का वर्ष 2009 में स्वर्गवास हो चुका है। चूंकि अपीलांट के पिता के प्रार्थना पत्र पर तमाम औपचारिकता तत्समय ही पूर्ण की जा चुकी था तथा मात्र आवंटन आदेश जारी किया जाना शेष था। ऐसी स्थिति में आवेदक बेगाराम के वारिसान का वादग्रस्त भूमि पर हित निहित हो गया है। स्व. बेगाराम के वारिसान आज दिनांक को भी उक्त भूमि बतौर विशेष आवंटन में आवंटित करवाने हेतु तत्पर व तैयार है। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 09—11—2016 को वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जबकि वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता अपीलांट की बनती है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किये जाने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट की प्रथम वरियता मानते हुए बिना आवंटन सलाहकार समिति की राय के मनमर्जी तरीके से उक्त आवेदित भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटन कर दी गई। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व न तो अपीलांट का कोई नोटिस प्रदान किया गया ना हीसुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया गया है। जो आवंटन नियमों से स्पष्ट विपरीत है। विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्रों को आवंटन सलाहकार समिति में रखा जाकर पात्रता व वरियता निर्धारित करते हुए आवंटन किया जाना होता है। वादगत् भूमि के आवांटन हेतु अपीलांट के पिता का भी आवेदन था। इसलिए आराजी जैर के आवंटन की प्रथम वरीयता अपीलांट की बनती है। जिसे अनदेखा कर अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए राज्य सरकार को भी आर्थिक हानि पहुॅचाई है। यदि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु सभी समान वरियता के पक्षकारों को आवंटन हेतु बुलाया जाता तो निश्चित रूप से बोली लगती व अधिकतम बोलीदाता को वादगत् भूमि का आवंटन किया जाता। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो कानून की दृष्टि में शून्य आदेश की परिभाषा में आता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे व प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि सभी आवेदकों को सुनवाई व अवसर प्रदान करते हुए प्राथमिकता के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा यह निर्धारित किया जा चुका है कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो व प्रकरण मैरिट पर मजबूत हो वहॉ मियांद के बिन्दु को गौण करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में

प्रस्तुत अपील में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। अपीलांट का वादग्रस्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है। अपीलांट के पिता द्वारा वर्ष 2007 में वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात् वर्ष 2009 में अपीलांट के पिता बेगाराम का स्वर्गवास हो चुका है। ऐसी स्थिति में आवेदक की मृत्यु के उपरान्त के उपरान्त उक्त आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त हो चुका है। आवंटन नियमों में वैधानिक उत्तराधिकारियों को आवंटन किये जाने का कोई प्रावधान निहित नहीं है। अपीलांट न तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हितबद्व पक्षकार था नाही आवंटन का पात्र था। उल्लेखनीय यह भी है कि बेगाराम पुत्र देवाराम के अन्य वारिसान को अपील में पक्षकार स्थापित नहीं किया गया हैं ऐसी स्थिति उक्त अपील संधारण योग्य व स्वीकार किये जाने नहीं है।

उन्होनें आगे बताया कि प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, रेस्पोडेन्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि चक 5 डीएल के मुरब्बा नम्बर 149/60 में भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर आवंटन सलाहकार समिति की राय से व वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट के धारण के मुरब्बें में निहित होने के कारण आराजी जैर का आवंटन अपीलाधीन आदेश के माध्यम से किया गया था। आवंटन पश्चात् रेस्पोडेन्ट द्वारा मौके पर ही वादगत् भूमि की निर्धारित राशि की 35 प्रतिशत राशि जमा करवा दी गई थी तथा शेष राशि कालान्तर में जमा करवाते हुए वादगत् का कब्जा प्राप्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि के बाबत् तमाम कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। इसप्रकार अदालत मातहत द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया को अपनाये जाने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आराजी जैर का आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से गुणावगुण पर भी किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलांट द्वारा अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है तथा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने हेतु अभिलिखित कारण संतोषजनक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील लोकस स्टेण्डाई व गुणावगुण पर

खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवंटन बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियांद बाहर व अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं होने का कथन करते हुए अपीलांट की अपील इसी स्तर पर खारिज करने की इस्तदुआ की गई है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट अपने पिता को विवादित भूमि का पूर्व आवेदक बताकर आवंटन आदेश को चुनौती दे रहा है, परन्तु उक्त भूमि के आवंटन की कार्यवाही के बारे में समय पर सूचना नहीं ले सका। अपीलांट के पिता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में कहीं भी प्रस्तुत करने की तिथि का अंकन नहीं है। आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों का भी उल्लेख नहीं है। अपीलांट स्पष्ट नहीं कर पाया है कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त मूल आवेदन तथा अपीलांट्स के पिता बेगाराम की मृत्यु के बाद भी उन्होनें आवेदन पत्र की पूर्ति क्यों नहीं की। निर्धारित समयावधि में आवेदन पूर्ण नहीं करने का कारण बेगाराम की मृत्यु के साथ ही आवेदन निरस्त हो गया था तथा आवेदक के वारिसों का आगे की कार्यवाही का कोई हक नहीं रहा है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील मियांद बाहर होने तथा अपीलांट प्रश्नगत् आवंटन से हितबद्व पक्ष नहीं होने के कारण अपील खारिज की जाती है। आवंटन आदेश की वैधता या पुष्टि के बारे में कोई टिप्पणी की जानी उचित नहीं है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 31—07—2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर